बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर०253/2026

डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण सत्र 2026–28 के लिए गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों पर स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना।

समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 181/2026 के क्रम में सभी संबंधित हितधारकों को यह सूचित किया जाता है कि राज्य के डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026–28 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के आधार पर प्रथमतः सरकारी संस्थानों में सीट आवंटन एवं नामांकन की कार्रवाई की गई। तत्पश्चात् गैर–सरकारी संस्थानों में समिति द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर तीन चरणों में नामांकन की कार्रवाई की गई। इस क्रम में समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 227/2026 के आलोक में गैर–सरकारी संस्थानों द्वारा तृतीय चरण में दिनांक 25.10.2026 तक किए गए सभी नामांकनों का विवरण समिति के पोर्टल **https://bsebdeled.com** पर दिनांक 28.10.2026 तक अपडेट किया गया है।

अतः सभी संबंधित गैर–सरकारी डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत किए गए नामांकनों के विवरण की जाँच कर लें तथा सुनिश्चित करें कि सभी नामांकनों का विवरण समिति के पोर्टल पर अद्यतन है।

2. समिति द्वारा गैर–सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में तीन चरणों में सीट आवंटन एवं नामांकन की कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत भी कुछ सीटें रिक्त रह गई हैं। इसके अतिरिक्त, प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान में मात्र 3,000/– रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर नामांकन लिया गया है, किंतु समिति द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद उनके द्वारा प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि अब तक जमा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की नामांकन संबंधी स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण उनके आवंटित सीटों को रिक्त रह जाने की संभावना है, जिससे स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकित संस्थान में प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि अब तक जमा नहीं की गई है, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2026 तक अनिवार्य रूप से शेष शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

3. निर्धारित तिथि तक शेष शुल्क जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित संस्थान नियमानुसार उनका आवंटन/नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे। ऐसी कार्रवाई किए जाने की स्थिति में संबंधित संस्थान द्वारा समिति के पोर्टल पर नामांकन संबंधी विवरण दिनांक 01.11.2026 तक अद्यतन करना अनिवार्य होगा। इस प्रयोजनार्थ समिति द्वारा सभी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

यदि संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक नामांकन निरस्त करने संबंधी कार्रवाई एवं उसका अद्यतन नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थी संस्थान में नामांकित है। ऐसी स्थिति में संबंधित सीट को स्पॉट नामांकन हेतु रिक्त नहीं माना जाएगा।

4. गैर–सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकित अभ्यर्थियों का "शुल्क" जमा नहीं होने के कारण नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई में पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरती जाएगी। सभी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी का "नामांकन" बिना उचित कारण एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए निरस्त नहीं किया जाए। संस्थान के स्तर पर किसी त्रुटि के कारण यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

5. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में चयनित वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 3,000/– रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित गैर–सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन लिया है, वे दिनांक 31.10.2026 तक प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

6. अभ्यर्थियों के हित में गैर–सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन संबंधी अद्यतन कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत रिक्त रह गई सीटों पर स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की कार्रवाई की जाएगी। स्पॉट नामांकन हेतु पात्रता, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम का विवरण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

7. गैर–सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण, समिति के पोर्टल https://bsebdeled.com पर दिनांक 02.11.2026 को उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त पोर्टल पर अपने इच्छित संस्थान में उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण देख सकेंगे। इस बाबत निम्नलिखित शर्त्त पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए पात्र होंगे।

(क) स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए केवल वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जिन्होंने निर्धारित अवधि में समिति के पोर्टल के माध्यम से CAF (Common Application Form) जमा किया हो।

(ख) CAF एवं आवेदन शुल्क जमा करने के बावजूद किसी भी चरण में चयनित नहीं हुए अभ्यर्थियों को ही स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए शामिल किया जाए।

(ग) पूर्व चयन–सूची (Selection list) में आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं लेने वाले अथवा 3,000/– रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के बाद शेष शुल्क जमा नहीं करने के कारण जिनका नामांकन नियमानुसार निरस्त किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए पात्र होंगे।

(घ) पहले से किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थान में नामांकित अभ्यर्थी, स्पॉट नामांकन (Spot Admission) में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ङ) बिना CAF जमा किए किसी भी अभ्यर्थी को स्पॉट नामांकन में शामिल नहीं किया जाएगा।

8. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–127, दिनांक 12.01.2023 के आलोक में तृतीय चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत विज्ञान अथवा कला एवं वाणिज्य संकाय में सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में, जिस संकाय में सीटें रिक्त हों, उनमें दूसरे संकाय के पात्र अभ्यर्थियों का नामांकन रिक्त सीटों के विरुद्ध लिया जा सकेगा। तदनुसार, डी०एल०एड० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी प्रशिक्षण संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला एवं वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित विषयवार सीट–वितरण संबंधी प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान की जाती है।

9. <u>स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया</u>

(i) अभ्यर्थी पहले पोर्टल पर संस्थानवार रिक्त सीटों की संख्या देखें।

(ii) निर्धारित शुल्क के साथ Common Application Form भर चुके अभ्यर्थी Reference Number के माध्यम से पूर्णरूपेण भरा हुआ Common Application Form पोर्टल से डाउनलोड करें।

(iii) आवेदन पत्र के साथ डाउनलोड किया गया Common Application Form, स्कोर कार्ड, आवश्यक शैक्षणिक एवं आरक्षण प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियाँ जमा करें।

(iv) संस्थान द्वारा आवेदन पंजी संधारित की जाए, आवेदन पंजी में क्रमिक प्राप्ति संख्या उपलब्ध कराई जाए तथा आवेदन की प्राप्ति रसीद देना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक कार्यदिवस की प्राप्ति संख्या पिछले कार्यदिवस की अंतिम प्राप्ति संख्या के क्रम में जारी होगी और किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(v) CAF Number के माध्यम से यह सत्यापित कर ली जाए कि अभ्यर्थी पहले से किसी संस्थान में नामांकित नहीं है।

(vi) औपबंधिक मेधा सूची, आपत्ति प्राप्ति, आपत्तियों का निराकरण और अंतिम मेधा सूची प्रकाशन की प्रक्रिया संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए।

(vii) संस्थान द्वारा उक्त मेधा सूची के आधार पर आवेदकों के नामांकन की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए उसे समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट (Update) किया जाएगा।

10. स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों की समय तालिका निम्नवत् है :–

क्र.स.	कार्य	तिथि
1.	गैर–सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची के चयनित वैसे आवेदक जो 3000/रू0 की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, के द्वारा संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने की तिथि	30.10.2026 से 31.10.2026 तक
2.	गैर–सरकारी संस्थानों के द्वारा नामांकन के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि	01.11.2026 तक
3.	गैर–सरकारी संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहना	02.11.2026
4.	आवेदक द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की अवधि	02.11.2026 से 04.11.2026 तक
5.	मेधा क्रम में संस्थान द्वारा औपबंधिक सूची प्रकाशित करने की तिथि (इसे मुख्य द्वार पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा)	05.11.2026
6.	औपबंधिक सूची पर आवेदकों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि	05.11.2026
7.	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि	06.11.2026
8.	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि	07.11.2026
9.	अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि	07.11.2026 से 12.11.2026
10.	नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्रसारित अंतिम मेधा सूची के आवेदक द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदनों में से प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के आवेदक का मेधा क्रमानुसार नामांकन लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	13.11.2026 से 14.11.2026
11.	नामांकन के पश्चात् समिति के पोर्टल पर अद्यतन (Updation) करने की तिथि	17.11.2026

28/10/26

परीक्षा नियंत्रक (विविध),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

ज्ञापांक : के०वि०–II/ 680 /2026

पटना, दिनांक– 28 / 10 / 2026